सामूहिक विवाह अनुदान योजना का परिचय–

1.	योजना का नाम	समूहिक विवाह अनुदान योजना
2.	योजना का संक्षिप्त परिचय	समूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने तथा विवाहों में होने वाले फिजूल खर्ची को कम करने के लिए आर्थिक अनुदान दिया जाता है। योजनान्तर्गत स्त्री धन के रूप में वधु के नाम 3 साल के लिए सावधि (Fixed Deposit) के लिए जमा कराई जाती है।
3.	प्रारम्भ होने का वर्ष	1996–97 (संशोधित 2008–09)
4.	लाभान्वित वर्ग	सभी वर्गो हेतु
5.	पात्रता	संस्था का रजिस्ट्रीकरण–राजस्थान संस्था अधिनियम 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) अथवा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत अथवा ट्रस्ट के रूप में पंजकृत हो तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हो।
6.	देय सुविधाएं	12500 रू. प्रति जोडा जिसमें से 25 प्रतिशत राशि विवाह आयोजक संस्था को देय है तथा शेष 75 प्रतिशत राशी स्त्री धन के रूप में वधु के नाम से 3 साल के लिए सावधि के लिए जमा कराई जाती है। रू. 12500/– प्रति जोडा तथा अधिकतम 500 जोडों की सीमा तक अनुदान स्वीकृत किया जाता है।
7.	आवेदन का तरीका	अधिकृत संस्था द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सामूहिक विवाह आयोजन से 15 दिन पूर्व आवेदन करना जरूरी है।
8.	आवेदन कहां किया जावे	संबंधित जिले के जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जावे।
9.	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	जोडो की संख्या, वर–वधु के आयु प्रमाण पत्र, आयोजन स्थल, आयोजन की तिथि, संस्था का रजिस्ट्रेशन आदि।
10.	सम्पर्क सूत्र	कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता
11	स्वीकृति कैसे होगी	संस्था द्वारा अनुदान के लिए प्रपत्र 9 में आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा एवं उसका परीक्षण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा नियमानुसार पूर्ण पाये जाने पर अनुशंषा के साथ जिला कलेक्टर की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। अनुदान का भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा। चैक जिला कलेक्टर के हस्ताक्षरों से जारी होगा।

परिशिष्ट - "अ"

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
निदेशालय महिला अधिकारिता

क्रमांक एफ.19(1)मविका/सामूहिक विवाह/2002–09 दिनांक जनवरी, 2010

अधिसूचना

राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009

राज्य में सामूहिक विवाहों के आयोजनों के नियमन एवं इस प्रकार के आयोजन करने वाली संस्थाओं को अनुदान के लिए प्रक्रिया स्थापित करने हेतु राज्य सरकार "राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009" निम्नप्रकार से एतद्द्वारा लागू करती है :–

1– **शीर्षक एवं प्रारंभ**–

(1) यह नियम 'राजस्थान सामूहिक विवाह नियमन एवं अनुदान नियम, 2009' कहलाए जाएंगे।

(2) यह नियम तुरन्त प्रभाव से प्रभावी होंगे।

2– **परिभाषाएँ**–

जब तक कि विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में :–

(1) 'राज्य' से अभिप्राय राजस्थान राज्य से है;

(2) 'सरकार' से अभिप्राय राजस्थान सरकार से है;

(3) 'निदेशालय' से अभिप्राय महिला अधिकारिता निदेशालय से है;

(4) 'अभिकरण' से अभिप्राय संबंधित जिले में स्थापित जिला महिला विकास अभिकरण से है;

(5) 'सक्षम अधिकारी' से अभिप्राय जिला कलेक्टर एवं ऐसे अधिकारी से है जो राज्य सरकार अथवा जिला कलक्टर द्वारा सामूहिक विवाहों के अनुमोदन हेतु अधिकृत किया जाए ;

(6) 'प्राधिकृत अधिकारी' से अभिप्राय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार द्वारा इन नियमों की क्रियान्विति हेतु प्राधिकृत किया जाए;

(7) 'संस्था' से अभिप्राय ऐसे सार्वजनिक एवं गैर–शासकीय संगठन से है जो राजस्थान संस्था अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) अथवा सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अंतर्गत अथवा ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत हो तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हो,

(8) 'अधिकृत संस्था' से तात्पर्य उस संस्था से है जिसका पंजीयन नियम 4 के अंतर्गत किया गया है।

(9) 'सामूहिक विवाह' से तात्पर्य एक ही स्थान पर, एक ही समय 10 या अधिक जोड़ों का विवाह आयोजित करने से है;

(10) 'प्रपत्र' से तात्पर्य इन नियमों के अंतर्गत दिए गए प्रपत्र से है।

भाग–1

सामूहिक विवाह आयोजन हेतु अनुमति

3– सामूहिक विवाह आयोजन हेतु अनुमति की अनिवार्यता–

किसी भी संस्था द्वारा सामूहिक विवाह आयोजन से पूर्व जिला कलक्टर अथवा सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4– सामूहिक विवाह हेतु संस्थाओं का पंजीयन–

(1) कोई भी संस्था, जो नियमित रूप से सामूहिक विवाहों का आयोजन करती हो जिला कलक्टर के यहॉ स्थाई रूप से पंजीयन करा सकेगी। इस हेतु प्रपत्र 1 में आवेदन देना होगा;

(2) जिला कलक्टर उपनियम (1) के अधीन प्राप्त आवेदन तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के परीक्षण पश्चात एवं सामूहिक विवाह आयोजन में उक्त संस्था के अनुभव और दक्षता के आधार पर प्रपत्र 2 में संस्था का पंजीयन करेंगे तथा प्रपत्र 3 के अनुसार संस्था को तदानुकूल सूचित करेंगे।

(3) पंजीयन के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।

5– सामूहिक विवाह आयोजन हेतु अनुमति–

(1) कोई भी अधिकृत संस्था जब भी सामूहिक विवाह आयोजित करेगी वह अनुमति हेतु प्रपत्र 4 के अंतर्गत जिला कलक्टर को प्रस्तावित विवाह आयोजन की तिथि से कम से कम 15 दिवस पूर्व आवेदन करेगी;

(2) यदि कोई संस्था अधिकृत संस्थाओं की श्रेणी में नहीं है और वह सामूहिक विवाह आयोजन करने की इच्छुक है तो प्रपत्र 5 में उस हेतु जिला कलक्टर को 15 दिवस पूर्व आवेदन करेगी।

6– सामूहिक विवाह आयोजन हेतु शर्तें–

(1) किसी भी सामूहिक विवाह आयोजन के लिए निम्न शर्तो की पालना आवश्यक होगी–

*(i) सामूहिक विवाह में वे ही विवाह मान्य होंगे जिनमें लड़के की आयु 21 और लड़की की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होगी। साथ ही किसी पुरूष व्यस्क का विवाह 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ संपन्न नहीं होगा;

(ii) विवाह स्थल का विवरणः– विवाह में सम्मिलित होने वाले जोड़े और संभावित मेहमानों की संख्या के आधार पर विवाह स्थल की उपयुक्तता अर्थात विवाह स्थल का क्षेत्रफल, वैवाहिक स्थल पर समुचित खुला स्थान है या नहीं। विवाह स्थल पर वाहनों के आवागमन एवं पार्किंग की उपयुक्त व्यवस्था;

(iii) सुविधाएँः–विवाह में भाग लेने वाले व आने–जाने वाले व्यक्तियों के लिए जल, बिजली और सफाई आदि की उपयुक्त व्यवस्था:

(iv) आकस्मिक पस्थितियों का निवारणः–किसी आकस्मिक घटना के घटित होने पर चिकित्सा सुविधा, अग्निशमन सुविधा एवं अन्य सहायता तुरंत उपलब्ध कराए जाने का प्रबंध। वैवाहिक स्थल पर तुरंत आकस्मिक वाहन जैसे अग्निशमन सेवाएँ, एम्बुलैंस वाहन आदि पहुँच सके ऐसी व्यवस्था;

(v) किसी सार्वजनिक मार्ग या स्थल पर सार्वजनिक वाहनों या व्यक्तियों के आवागमन में किसी प्रकार की बाधा अथवा शांति भंग होने की संभावना नहीं हो।

** [स्पष्टीकरण 1*

आयु की पुष्टि हेतु जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, बोर्ड परीक्षा प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, फोटो पहचान पत्र आदि से की जा सकती है। यदि यह दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो ड्राइविंग लाईसेंस, पासपोर्ट आदि से भी आयु की पुष्टि की जा सकती है। संदेह की स्थिति में मेडिकल ज्यूरिष्ट द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को मान्यता दी जा सकती है।

**** स्पष्टीकरण 2***

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 9 एवं 10 में इस प्रकार के आयोजन पर कठोर कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान है;

*{**धारा 9**–जो कोई भी व्यस्क पुरूष 18 वर्ष की उम्र से अधिक होते हुए बाल विवाह की संविदा करता है, कठोर कारावास से दंडनीय होगा, जिसका विस्तार दो वर्षो तक हो सकेगा या जुर्माना जिसका विस्तार एक लाख रूपए तक हो सकेगा या दोनो।*

***धारा 10**–जो कोई भी किसी बाल विवाह को पूर्ण करता, निर्देशित करता या उत्प्रेरित करता है, कठोर कारावास से दंडनीय होगा जिसका विस्तार दो वर्षो तक का हो सकेगा तथा जुर्माने का दायी होगा जिसका विस्तार एक लाख रूपए तक हो सकेगा, जब तक कि वह यह सिद्ध नहीं कर देता कि उसे विश्वास था कि वह विवाह बाल विवाह नहीं था}*

7– सामूहिक विवाह आयोजन हेतु अनुमति–

जिला कलक्टर या सक्षम अधिकारी जिसे आवेदन प्रस्तुत किया गया है, वह आवेदन की उपयुक्त जॉच और संतुष्टि के पश्चात ऐसे सामूहिक विवाह आयोजन की अनुमति प्रपत्र 6 में प्रदान करेंगे जिसका अभिलेख प्रपत्र 6(क) के अनुसार रखा जायेगा।

8— **संबंधित संस्थानों को सूचित करना—**
संस्था आयोजन हेतु स्वीकृति मिलने के पश्चात क्षेत्र के पुलिस अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी एवं अग्निशमन सेवाओं को पूरे विवरण अर्थात विवाह स्थल का पूर्ण पता, सम्पर्क व्यक्ति की विगत और टेलीफोन नंबर सहित सूचना देगी।

9— **विवाह आयोजन के समय अधिकारी की उपस्थिति—**
जिला कलक्टर अथवा सक्षम अधिकारी, यदि आवश्यक समझे, विवाह आयोजन के समय अपना प्रतिनिधि भेज सकेंगे जो आयोजन की स्थिति के बारे में रिपोर्ट देगा।

10— **विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण**
संस्था यह सुनिश्चित करेगी कि उक्त आयोजन में संपन्न विवाहों का पंजीकरण राजस्थान विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्याक 16) के अंतर्गत करा लिया जाएगा।

11— **शास्ति—**
कोई भी संस्था जो जिला कलक्टर अथवा सक्षम अधिकारी की अनुमति लिए बिना सामूहिक विवाह का आयोजन करेगी या इन नियमों/निर्देशों के पालन में असफल रहेगी तो स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला कलक्टर निम्न कार्यवाही कर सकेंगे—

(i) संस्था को भविष्य के लिए चेतावनी;
(ii) संस्था के विरूद्ध कम से कम रूपए 1000 अधिकतम रूपए 5000 तक की शास्ति का निरूपण;
(iii) संस्था का इन नियमों के अंतर्गत किये गये पंजीकरण का निरस्तीकरण;
(iv) संस्था को भविष्य में सामूहिक विवाह आयोजित करने हेतु निर्योग्य घोषित किया जाना।

परंतु इस नियम के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही या शास्ति संस्था का स्पष्टीकरण अथवा/एवं सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना नहीं की जायेगी।

भाग—2

सामूहिक विवाहों के लिए अनुदान

12— **पात्रता—**
(1) कोई भी संस्था जो सामूहिक विवाह का आयोजन करती है, वह यदि इच्छुक हो, तो इन नियमों के अंतर्गत अनुदान प्राप्त कर सकेगी;
(2) इन नियमों में अनुदान हेतु वे ही विवाह मान्य होंगे जिनका पंजीयन नियम 10 के अनुसार करा लिया गया हो।

13– <u>अनुदान की सीमा</u>–

(1) इन नियमों के अंतर्गत अनुदान रूपए 6000 प्रति जोड़ा अथवा राज्य सरकार द्वारा तत्समय निर्धारित अनुदान राशि के आधार पर देय होगा;

(2) प्रति जोड़ा अनुदानित राशि में से 25 प्रतिशत की राशि (वर्तमान में रूपए 1500) संस्था को विवाह आयोजन के रूप में देय होगी जबकि 75 प्रतिशत की राशि (वर्तमान आधार पर रूपए 4500) नवविवाहिता (वधु) के नाम से डाकघर या अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए सावधि, अथवा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विर्निदिष्ट हो, जमा कराई जायेगी;

(3) किसी संस्था को एक सामूहिक विवाह के लिए अनुदान की सीमा रूपए 10 लाख अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित राशि से अधिक देय नहीं होगी।

14– <u>अनुदान के लिए आवेदन</u>–

(1) इन नियमों के अंतर्गत अनुदान की इच्छुक संस्था ऐसे आयोजन के कम से कम 10 दिन पूर्व निर्धारित प्रपत्र 7 में, दो प्रतियों में, जिला कलक्टर को आवेदन प्रस्तुत करेगी।

(2) विवाह में सम्मिलित किये जाने वाले जोड़ों की सूची, यदि आवेदन के साथ संलग्न नहीं की गई है, तो आयोजन तिथि से कम से कम तीन दिवस पूर्व तक दी जानी होगी।

परंतु, विशेष परिस्थितियों में जिला कलक्टर स्वविवेक से उपरोक्त उपनियम (1) में निर्धारित समय–सीमा में शिथिलता दे सकेंगे।

15– <u>आवेदन की जॉच एवं सत्यापन</u>–

(1) जिला कलक्टर द्वारा ऐसे प्राप्त प्रस्ताव जांच, सत्यापन एवं अनुशंषा हेतु प्राधिकृत अधिकारी को भिजवाये जायेगें;

(2) ऐसे प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण प्राधिकृत अधिकारी की अध्यक्षता में निम्न अधिकारियों की समिति द्वारा किया जायेगाः–

(i) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी,

(ii) स्थानीय बाल विकास परियोजना अधिकारी,

(iii) प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित अथवा अन्य मनोनीत लेखाकार अथवा उसकी अनुपलब्धता में कनिष्ठ लेखाकार, जैसा भी प्रकरण हो;

(3) प्राधिकृत अधिकारी परीक्षण के पश्चात यदि आवेदन में किसी प्रकार की कमी या आक्षेप हो तो उसकी पूर्ति हेतु आवेदक संस्था को निर्दिष्ट करेंगे;

(4) आवेदन नियमानुसार उपयुक्त पाये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी इस अभिशंषा के साथ कि संस्था अनुदान की पात्र है, प्रकरण अनुमोदनार्थ जिला कलक्टर को प्रस्तुत करेंगे;

(5) प्राधिकृत अधिकारी ऐसी पात्र संस्था को प्रपत्र 8 में सहमति देते हुए (यदि पूर्व में सूची संलग्न नहीं की गई है अथवा दी गई सूची में किसी प्रकार का संशोधन किया जाना है) निर्दिष्ट करेंगे कि वह आयोजन से कम से कम तीन दिन पूर्व सामूहिक विवाह में सम्मिलित जोड़ों की संख्या व सूची, मय ऐसे साक्ष्य के जो विर्निदिष्ट हों, प्रस्तुत करेगी।

(6) सामूहिक विवाह के दिन प्राधिकृत अधिकारी अथवा उसका कोई प्राधिकृत प्रतिनिधि विवाह स्थल पर जा सकेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकेगा;

(7) सामूहिक विवाह आयोजन समाप्त होने के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र नियम 10 के अनुसरण में विवाह पंजीकरण कराकर संस्था द्वारा अनुदान हेतु आवेदन प्रपत्र 9 में प्रस्तुत किया जायेगा। इस आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे–

(i) संपन्न किये गये विवाहों की सूची;
(ii) वधु और वर के आयु प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियॉ;
(iii) विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतियॉ;
(iv) अन्य दस्तावेज जो भी आवश्यक हों अथवा विनिर्दिष्ट किये जायें।

16– <u>अनुदान की स्वीकृति एवं भुगतान–</u>

(1) संस्था द्वारा अनुदान के लिए प्रपत्र 9 में प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा नियमानुसार पूर्ण पाये जाने पर अनुशंषा के साथ जिला कलक्टर की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा;

(2) अनुदान का भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा। चैक जिला कलक्टर के हस्ताक्षरों से जारी होगा;

(3) भुगतान दो प्रकार से किया जायेगा:–

(i) संस्था को विवाह आयोजन हेतु प्रति जोड़ा स्वीकृत राशि से 25 प्रतिशत, जैसा कि नियम 13 के उप नियम (2) में उल्लेखित है, के आधार पर कुल मान्य विवाह (जोड़े) हेतु राशि;

(ii) प्रति जोड़ा अनुदान योग्य राशि से 75 प्रतिशत राशि नियम 13 के उपनियम (2) के अनुसरण में वधु के नाम जमा कराये जाने हेतु;

(4) नियम 13 के उपनियम (2) के अनुसरण में राशि प्रत्येक वधु के नाम से प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जमा कराई जायेगी जिस हेतु संबंधित संस्था का सहयोग लिया जा सकेगा;

जमा कराई गई राशि के दस्तावेज संबंधित वधुओं को संभलाकर प्राप्ति रसीद प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में संस्था द्वारा प्रस्तुत की जायेगी;

(5) प्राधिकृत अधिकारी, प्रकरण में यदि कोई कारण अन्यथा अपेक्षित न हो, अनुदान हेतु प्रपत्र 9 में पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर 10 दिवस में अनुदान भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

(6) इन नियमों के अंतर्गत अनुदान का भुगतान नियम 17 के अनुसरण में, जमा राशि से किया जायेगा।

17– **अनुदान हेतु प्रावधान**

राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के अंतर्गत अनुदान हेतु समुचित राशि का प्रावधान किया जायेगा जिसे आवश्यकतानुसार जिलों में जिला महिला विकास अभिकरण के निजी निक्षेप खाते अथवा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा भविष्य में विर्निदिष्ट किया जाये, में जमा कराया जायेगा;

18– **सूचना और व्यय विवरण**–

(i) सामूहिक विवाहों के लिये दी गई अनुमति की सूचना जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निदेशालय को प्रपत्र 10 में भेजी जायेगी।

(ii) प्राधिकृत अधिकारी इन नियमों के अंतर्गत अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन, उनके निस्तारण एवं व्यय विवरण की सूचना प्रपत्र 11 में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक निदेशालय को भिजवाएँगे।

19– **शंका/विवादों का निस्तारण**

(1) इन नियमों के अंतर्गत सामूहिक विवाह अनुमति अथवा अनुदान के संबंध में शंका/विवादों का निपटारा निम्नप्रकार से किया जाएगा–

(i) सामूहिक विवाह अनुमति संबंधी कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर यदि प्रकरण सक्षम अधिकारी से संबंधित है तो जिला कलक्टर के स्तर पर और यदि जिला कलक्टर से संबंधित है तो संभागीय आयुक्त के स्तर पर निपटाया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में प्रकरण जिला कलेक्टर के माध्यम से निदेशालय को भिजवाया जा सकेगा। इन अधिकारियों का निर्णय/निर्देश, जैसा भी प्रकरण हो, अंतिम होगा।

(ii) सामूहिक विवाह हेतु अनुदान के संबंध में कोई शंका अथवा विवाद अथवा कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर प्रकरण निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा जिस पर आयुक्त/निदेशक का निर्णय/निर्देश अंतिम माना जाएगा।

20– **नियमों का निष्प्रभावी होना**–

इन नियमों के लागू होने के पश्चात 'राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान नियम, 1996' तथा उसके अनुसरण में समय–समय पर जारी संशोधन/स्पष्टीकरण एवं निर्देश स्वतः निष्प्रभावी माने जायेंगे;

परन्तु, इन नियमों के प्रभावी होने से पूर्व सम्पन्न सामूहिक विवाहों के प्रकरणों का निष्पादन 'राजस्थान सामूहिक विवाह अनुदान नियम, 1996' के प्रावधानानुसार ही किया जाएगा।

आज्ञा से

शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग

राजस्थान सरकार
आयुक्त,महिला अधिकारिता विभाग
जयपुर, राजस्थान

क्रमांकः— प—14(1)(34) निमअ/सामूवि/विविध/2012/ 14817 जयपुर, दिनांकः— 28/3/13

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2013—14 के बिन्दु संख्या 110 के अनुसारण में 'राजस्थान सामूहिक विभाग नियमन एवं अनुदान नियम, 2009' के नियम—13 (1) में संशोधन करते हुए सामूहिक विवाह आयोजनों के अंतर्गत किए गए विवाह हेतु अनुदान राशि रू. 6000 प्रति जोड़ा से बढ़ाकर रू. 12500 प्रति जोड़ा करने की महामहिम राज्यपाल महो. की स्वीकृती एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त राशि में से नियम 13(2) के अनुसरण में आयोजक संस्था को अनुदान के रूप में दी जाने वाली राशि को रू. 1500 प्रति जोड़ा से बढ़ाकर रू. 2500 प्रति जोड़ा किया जाता है।साथ ही सामूहिक विवाह में विवाह करने वाले प्रति जोड़े को अनुदान की सीमा रू. 4500 से बढ़ाकर रू. 10000 की जाती है। यह राशि नव विवाहिता (वधू) के नाम से डाक—घर या अधिसूचित राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि के लिए जमा कराई जाएगी।

इसी प्रकार नियम 13 (3) में संशोधन करते हुए प्रत्येक सामूहिक विवाह आयोजन में अधिकतम जोड़ों की संख्या व 166 से बढ़ाकर 500 की जाती है।

उक्त आदेश वित्तीय वर्ष 2013—14 में आयोजित होने वाले सामूहिक विवाहों पर लागू होंगे। यह आदेश वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161300511 दिनांक 23.03.2013 के अनुसरण में जारी की जाती है।

(डॉ.सरिता सिंह)
आयुक्त म.अ.एवं शासन सचिव
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः— प—14(1)(34) निमअ/सामूवि/विविध/2012/14818-943 जयपुर, दिनांकः— 28/3/13
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1 प्रमुख शासन सचिव,मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2 माननीय मंत्री महोदया,महिला एवं बाल विकास विभाग ,राजस्थान जयपुर ।
3 माननीय राज्य मंत्री महोदया,महिला एवं बाल विकास विभाग ,राजस्थान जयपुर
4 मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान जयपुर।
5 प्रधान महालेखाकर, राजस्थान जयपुर।
6 प्रमुख शासन सचिव ,महिला एवं बाल विकास विभाग ,राजस्थान जयपुर।
7 प्रमुख शासन सचिव ,ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,राजस्थान जयपुर।
8 प्रमुख शासन सचिव ,सामान्य प्रशासन विभाग,राजस्थान जयपुर।
9 प्रमुख शासन सचिव ,कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग ,राजस्थान जयपुर।
10 निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,राजस्थान जयपुर।
11 संयुक्त शासन सचिव, (ग्रुप—4) आयोजन विभाग ,राजस्थान जयपुर।
12 संयुक्त शासन सचिव ,वित्त (व्यय—2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
13 निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान, जयपुर।
14 समस्त अधिकारीगण मुख्यालय जयपुर।
15 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् , समस्त।
16 उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग समस्त।
17 मुख्य लेखाधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जयपुर।
18 कोषाधिकारी कोष कार्यालय समस्त।
19 निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी सचिवालय जयपुर।
20 कार्यालय अधीक्षक/सहायक सांख्यिकी अधिकारी/क.ले. अंक मिलान।
21 रक्षित पत्रावली।

(डॉ.सरिता सिंह)
आयुक्त म.अ.एवं शासन सचिव